निदेशालय
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड सुद्धोवाला,
चकराता रोड़, देहरादून।
दूरभाष सं0–0135–2775813–14 ईमेल –dir.icds.ua@gmail.com

पत्रांक C-1164/न0गौ0यो0–6033–3/2025–26 दिनांक 02 अगस्त, 2025

:: अपील ::

(नन्दा गौरा योजना अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन किये जाने के सम्बन्ध में)

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि महिला सशाक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित "नन्दा गौरा योजना" अन्तर्गत योजना का लाभ एक परिवार की 02 जीवित पात्र बालिकाओं को निम्नानुसार दिये जाने का प्राविधान है।

क0सं0	लाभार्थी वर्ग	धनराशि
1	कन्या शिशु के जन्म पर	रू0–11,000/– (रूपये ग्यारह हजार मात्र)
2	बालिका के कक्षा–12 उत्तीर्ण कर स्नातक/डिप्लोमा में प्रवेश एवं अविवाहित होने पर	रू0–51,000/– (रूपये इक्यावन हजार मात्र)

उक्त कम में पात्र लाभार्थियों/अभिभावकों से ऑन लाईन पोर्टल साईट–**www.nandagaurauk.in** पर निम्न विवरणानुसार आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं–

- वित्तीय वर्ष–2025–26 में जन्म वाले पात्र लाभार्थी के अभिभावक ऑन लाईन पोर्टल साईट – **www.nandagaurauk.in** पर आवेदन करेगें। (जन्म वाले लाभार्थी के आवेदन हेतु पोर्टल निरन्तर खुला है, जिसमें नियमानुसार जन्म के छः माह के अन्दर आवेदन करना अनिवार्य है)
- वित्तीय वर्ष–2025–26 में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होने के साथ–साथ राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से स्नातक अथवा राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से कम से कम 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश करने वाली पात्र बालिकायें 30 नवम्बर, 2025 तक ऑन लाईन पोर्टल साईट– **www.nandagaurauk.in** पर आवेदन कर सकेगीं।

नोटः– "**नन्दा गौरा योजना**" अन्तर्गत योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अनिवार्य अर्हतायें एवं सामान्य अद्यतन दिशा–निर्देश विषयक समस्त शासनादेश ऑन लाईन पोर्टल साईट– **www.nandagaurauk.in** के साथ ही विभागीय वेबसाइड–**WWW.WECD.UK.GOV.IN** पर भी जनसामान्य के सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध हैं। आवेदन करने से पूर्व सम्बन्धित शासनादेशों का संज्ञान अवश्य लिया जाय।

अतः समस्त पात्र लाभार्थियों/अभिभावकों से वित्तीय वर्ष 2025–26 में "**नन्दा गौरा योजना**" का लाभ प्राप्त करने हेतु अपील की जाती है, कि निर्धारित समयावधि अन्तर्गत ऑन लाईन पोर्टल साईट–**www.nandagaurauk.in** पर आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त करें। उक्त के अतिरिक्त पोर्टल/योजना सम्बन्धी किसी भी जानकारी हेतु अपने–अपने जनपद के जिला कार्यकम कार्यालय/बाल विकास परियोजना कार्यालय से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक

प्रतिलिपि– सम्पादक दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित की दिनांक 03 अगस्त, 2025 के दैनिक समाचार पत्र में 18X12 सें0मी0 के आकार में उत्तराखण्ड संस्करण में शासकीय डी0ए0वी0पी0 दर पर श्वेत–श्याम अपील प्रकाशित करने का कष्ट करें।

निदेशक